संख्या : 267 / XXXVI(1) / 2008–850 / 2001

प्रेषक,

आलोक कुमार वर्मा,
अपर सचिव एवं अपर विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निबन्धक,
उत्तराखण्ड लोक सेवा अधिकरण,
316 फेज– II,
बसन्त विहार, देहरादून।

न्याय अनुभाग – 1

देहरादून, दिनांक 4 सितम्बर, 2008.

विषय– उत्तराखण्ड लोक सेवा अधिकरण, देहरादून में तदर्थ रूप से सहायक प्रस्तुतकर्ता अधिकारी के पद पर आबन्धन।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिम राज्यपाल सम्यक विचारोपरान्त शासनादेश संख्या– 232 / XXXVI(1) / 2008–850 / 2001 दिनांक 8 अगस्त, 2008 को तत्काल प्रभाव से अग्रिम आदेशों तक स्थगित करते हुए, उत्तराखण्ड लोक सेवा अधिकरण के समक्ष उ0प्र0 लोक सेवा अधिकरण अधिनियम, 1976 (यथा उत्तराखण्ड में प्रवृत्त) के अधीन दायर मामलों में राज्य / सेवायोजक का पक्ष प्रस्तुत करने हेतु श्री उमेश चन्द्र ढौंढियाल, अधिवक्ता (Legal Practitioner) को सहायक प्रस्तुतकर्ता अधिकारी के पद पर वेतनमान रू0 6,500–10,500 में न्यूनतम वेतन पर भत्तों सहित परिकलित (calculated) धनराशि की मासिक फीस दर पर नियमित व्यवस्था होने तक तदर्थ रूप से काम चलाऊ व्यवस्था के अन्तर्गत सन्तोषजनक रूप से कार्य करने की शर्त पर तत्काल प्रभाव से नियुक्त करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उपर्युक्त तदर्थ नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि यह नियुक्ति किसी 'सिविल पद' पर नियुक्ति नहीं है वरन् अधिवक्ता से किया गया यह एक व्यावसायिक आबन्धन है। आबद्ध अधिवक्ता को सरकारी कर्मचारी का दर्जा प्राप्त नहीं होगा बल्कि सरकार का उनसे सम्बन्ध मुवक्किल–वकील (Client-Counsel) का होगा। इस आबन्धन को उत्तराखण्ड राज्य द्वारा किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के और बिना कारण बताये निरस्त किया जा सकता है तथा श्री उमेश चन्द्र ढौंढियाल, अधिवक्ता भी इसे कभी भी समाप्त कर सकते हैं। श्री उमेश चन्द्र ढौंढियाल अपनी इस आबद्धता के दौरान उत्तराखण्ड राज्य के विरूद्ध किसी भी न्यायालय में किसी अन्य व्यक्ति / संस्था की आबद्धता स्वीकार नहीं करेंगे और न ही कोई विधिक परामर्श देंगे।

3– सहायक प्रस्तुतकर्ता अधिकारी को देय धनराशि का भुगतान वित्तीय वर्ष के आय व्ययक की अनुदान संख्या 4 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक '2014 न्याय प्रशासन–00 आयोजनेत्तर–800 अन्य व्यय–04–लोक सेवा अधिकरण–00–16–व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान' के नामे डाला जायेगा। वाद सम्बन्धी कार्य के निष्पादन हेतु स्टेशनरी आदि की व्यवस्था भी लोक सेवा अधिकरण द्वारा की जायेगी।

4– कृपया श्री उमेश चन्द्र ढौंढियाल, अधिवक्ता को तदनुसार सूचित करने तथा लोक सेवा अधिकरण, देहरादून के समक्ष तदनुसार अग्रिम आदेश तक कार्य करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आलोक कुमार वर्मा)
अपर सचिव न्याय।

संख्या : 267(1) / XXXVI(1) / 2008–850 / 2001 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर बिल्डिंग माजरा, देहरादून।
2– प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
4– श्री उमेश चन्द्र ढौंढियाल, अधिवक्ता, उत्तराखण्ड लोक सेवा अधिकरण, परिसर बसन्त विहार, देहरादून।
5– वित्त अनुभाग–5 / एन.आई.सी. / गार्ड बुक।

(आलोक कुमार वर्मा)
अपर सचिव न्याय।